बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

प्रेषण शाखा

संख्या–5/स्था० (विविध) क्षे०–08–58/2014 10253(S) पटना–15, दिनांक– 07/11/17

भारत के संविधान के अनुच्छेद–**309** के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार राज्य के पथ निर्माण विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयो (अंचल) हेतु अमीनो की भर्त्ती, एवं अन्य सेवाशर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।–(1) यह नियमावली, बिहार, पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2017' कही जा सकेगी।

   (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी।

   (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ ।– इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो –

   (i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

   (ii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है पथ निर्माण विभाग का अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना);

   (iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित अंचल का अधीक्षण अभियंता;

   (iv) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है पथ निर्माण विभाग का अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव;

   (v) "विभाग" से अभिप्रेत है पथ निर्माण विभाग, बिहार;

   (vi) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

   (vii) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष, पहली अप्रील से 31 मार्च तक की अवधि;

3. संवर्ग का गठन ।– इस संवर्ग में अमीन के पद होंगे जो पथ निर्माण विभाग के अधीन अंचल स्तरीय होगा जिसके नियोक्ता/नियंत्री पदाधिकारी संबंधित अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, होंगे।

   (2) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटि में पहले से नियमित रुप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।

4. उम्र सीमा ।– अमीन के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के 1 अगस्त को 18 वर्ष से कम नही होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर नियत की जाय।

5. आरक्षण ।– इस संवर्ग में नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

6. **नियुक्ति**।– (1) अमीन के पदों पर सीधी नियुक्ति, आयोग द्वारा अमीन के पदों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अनुभव के लिए अवधारित अंकों को जोड़कर, घोषित परीक्षाफल के अनुसार, प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

(2) (क) अमीन पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष संस्थान से इन्टरमीडियट (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ख) राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों को, उनके अनुभव के आधार पर, अंक दिये जायेंगे। अनुभव के लिए अधिकतम अंक 25 होगें तथा प्रतिवर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक दिये जायेंगे:

परन्तु यह कि, अनुभव की गणना कैलेन्डर वर्ष के अनुसार की जायेगी एवं एक कैलेंडर वर्ष में छः माह से अधिक के अनुभव को एक वर्ष एवं छः माह से कम अनुभव को शून्य वर्ष माना जायेगा।

7. **लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु लिखित पाठ्यक्रम**।– अमीन के पद पर चयन हेतु आयोग द्वारा 75 अंको की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें निम्नलिखित तीन भाग होंगे :–

(i) प्रथम खण्ड – सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य हिन्दी–25 अंक

(ii) द्वितीय खण्ड – सामान्य गणित 25 अंक।

(iii) तृतीय खण्ड – अमानत से संबंधित प्रश्न 25 अंक

8. **परिवीक्षा अवधि**।– (1) मौलिक रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त होने वाला प्रत्येक अमीन पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षो की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि पूरी होने के उपरान्त अमीन का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाय तो नियुक्ति प्राधिकारी, द्वारा अभिलिखित किये जा सकने वाले कारण से, परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यदि प्रतीत हो कि बढ़ाई गयी अवधि में आचरण एवं सेवा में सुधार की, सम्भावना है। बढ़ाई गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9. **प्रशिक्षण**।– सरकार द्वारा किये गए विनिश्चय के आधार पर अमीनों के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा नियत की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य होगा।

10. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम**।– सरकार समय–समय पर विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम नियत कर सकेगी।

11. **सम्पुष्टि**।– परिवीक्षा पर नियुक्त अमीन परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा :–

(i) यदि सरकार कोई विभागीय परीक्षा विहित की हो तो वह अवश्य उर्त्तीण हो चुका हो,

(ii) समय–समय पर विहित किया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हो और प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा हो तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो,

(iii) इस अवधि में उसका आचरण एवं उसकी सेवा संतोषजनक रही हो।

(iv) **हिन्दी टिप्पण / प्रारूपण परीक्षा / कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उर्त्तीण हो चुका हो।**

12. <u>वेतनमान्</u>।– नवनियुक्त अमीन का वेतनमान वही होगा जो, समय–समय पर, सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

13. <u>वरीयता</u>।– इस सेवा के सदस्यों की वरीयता आयोग से प्राप्त मेधा सूची के क्रमानुसार होगी तथा यह राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, नियत सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए तथा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अवधारित की जा सकेगी।

14. <u>प्रकीर्ण</u>।– स्थापना संबंधी कार्यों का नियंत्रण –(1) इस संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य संबंन्धित अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधीन होंगे।

(2) इस संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानान्तरण, सेवा–सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी विषय यथास्थिति, संबन्धित अधीक्षण अभियंता के अधीन होंगे।

15. <u>निरसन एवं व्यावृति</u>।– (1) विभाग में अमीन के पदो के लिए कोई पूर्व संधारित संवर्ग नियमावली नही है। विभाग से निर्गत नियुक्ति संबंधी पूर्व परिपत्रों को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में सरकारी परिपत्रों के अधीन की गयी नियुक्ति विधिमान्य बनी रहेगी मानो वे इस नियमावली के उपबंधो के अधीन निर्गत किए हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.11.17

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–5 / स्था० (विविध) क्षे०–8–58 / 2014– 10254(S) पटना–15, दिनांक– 07/11/17

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.11.17

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–5 / स्था० (विविध) क्षे०–8–58 / 2014– 10254(S) पटना–15, दिनांक– 07/11/17

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के सचिव / माननीय मुख्य मंत्री के सचिव / मुख्य सचिव, बिहार / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग / सभी मुख्य अभियंता, सभी उपभाग (रा०उ० पथ, यॉंत्रिक उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग (पथ / रा०उ० पथ एवं यॉंत्रिक अंचल सहित) / सभी

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग (पथ/रा०उ० पथ एवं यॉंत्रिक प्रमंडल सहित)/पथ निर्माण विभाग के सभी पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.11.17

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–5/स्था० (विविध) क्षे०–8–58/2014– 10254(S) पटना–15, दिनांक– 07/11/17

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय प्रेस गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस सूचना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 500 (पाँच सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

6.11.17

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–5/स्था० (विविध) क्षे०–8–58/2014– 10254(S) पटना–15, दिनांक– 07/11/17

प्रतिलिपि– आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना को इस निदेश के साथ प्रेषित है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

6.11.17

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

प्रशाखा
सर्वेक्षण 7-11-17

Government of Bihar
Road Construction Department
NOTIFICATION

5/Astha (Vividh) Ksh.-8-58/2014- 10253 (S) Patna-15, Dated- 07/11/17

In exercise of the powers conferred under proviso to Article-309 of the Constitution on India, The Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for field offices (circle) to regulate the appointment and service conditions of Amin under the Road Construction Department of State of Bihar :-

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These Rules may be called the "Bihar Road Construction Department Amin Cadre (Field Establishment) (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2017".
   (2) It shall extend to whole of the State of Bihar,
   (3) It shall come into force with immediate effect.

2. **Definitions.-** In these Rules, unless anything is not repugnant to the subject or the context
   (i) "State Government" means the Government of Bihar;
   (ii) "Cadre" means Amin of Road Construction Department (Field Establishment);
   (iii) "Appointing Authority" means the Superintending Engineer of concerned Circle ;
   (iv) "Cadre Controlling Authority" means Engineer-in chief cum Additional Commissioner cum Special Secretary of Road Construction Department ;
   (v) "Department" means the Road Construction Department;
   (vi) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission;
   (vii) "Year" means financial year, the period from 1st April to 31 March;

3. **Constitution of Cadre.-** (1) There shall be posts of Amin in this cadre which shall be of circle level under Road Construction Department and appointing/controlling authority of which shall be concerned Superintending Engineer of Road Constructions Department.
   (2) Persons already regularly appointed and working in the said category prior to application of these rules shall automatically be deemed to be included in this service.

4. **Age Limit.-** The minimum age of the candidate for the post of Amin shall not be less than 18 years as on 1st August of the year in which applications would be

invited. The maximum age-limit shall be the same as may fixed, from time to time, by the Department of General Administration of the State Government.

5. **Reservation.-** The provisions of reservation/roaster determined by the State Government from time to time, shall be applicable to the appointment in this cadre.

6. **Appointment.-** (1) Direct appointment to the post of Amin will be made on the basis of recommendation received as per the result declared by the Commission by adding marks obtained in Competitive Examination held for the posts of Amin and the marks determined for the experience.

(2) (a) For appointment to the post of Amin, the candidate must have passed the intermediate (10+2) or equivalent examination from any recognized board/ equivalent institution.

(b) Marks will be given to the experienced Amin under the State government on the basis of their experience, The maximum marks for experience will be 25 and 5 marks for experience for each year will be given.

Provided that calculation of experience will be made according the calendar year and more than six months experience will be treated one year and Less than six months experience will be treated zero year.

7. **Syllabus for the Written Competitive Examination.-** Competitive Examination of 75 marks shall be held by the Commission for the appointment to the post of Amin. There shall be one question paper consisting following three parts:-

(i) Part-1 General knowledge, current affairs, general science and general Hindi-25 marks.

(ii) Part-2 General math-25 marks.

(iii) Part-3 Question related with Amanat-25 marks.

8. **Probation Period.-** (1) Every Amin to be appointed against the basic vacant post shall remain on probation for the period of two years from the date of joining.

(2) If the conduct and service of Amin is not found satisfactory after the completion of probation period, the probation period may be extended by the Appointing Authority for further period of one year. If it appears that there is possibility of improvement in the conduct and service. If the conduct and service is not found unsatisfactory even during the extended period, his service may be terminated.

9. **Training.-** On the basis of decision taken by the Government, it shall be necessary for the Amin to obtain training, from time to time. If any examination is fixed at the end of training it would be compulsory to pass in it.

10. **Department Examination and Syllabus.-** The Government may fix departmental examination and syllabus, from time to time.

11. **Confirmation.-** The Amin appointed on probation shall be eligible for confirmation in the service on expiry of the probation period subject to the following conditions-

    (i) If the Government has prescribed any Departmental Examination, he must have passed the said examination.

    (ii) He has received training to be prescribed, from time to time, and passed the examination, if any, at the end of training.

    (iii) His conduct and his service have been found satisfactory during this period.

    (iv) Passed in Hindi Noting/Drafting Examination/Computer Eligibility Test Examination.

12. **Pay-scale.-** The pay scale of newly appointed Amin shall be the same as may be fixed by the Government, from time to time.

13. **Seniority.-** The seniority of the members of this cadre shall be according to merit order of the merit list received from the Commission and it may be determined by following the principle and procedure determined by the General Administration Department of the State Government, from time to time and maintained by the appointing authority.

14. **Miscellaneous.-** Control of works related to Establishment.- (1) All works related to appointment of the members of this cadre and establishment shall be under the administrative control of the concerned Superintending Engineer, Road Circle of the Road Construction Department.

    (2) The appointment, posting, transfer, confirmation of service, maintenance of seniority list of members of this cadre and all matters related to establishment shall be under the control of concerned Superintending Engineer as the case may be.

15. **Repeal & Saving.-** (1) There is no previous cadre Rules maintained for the post of Amin in the Department. Previous circulars relating to appointment issued by the Department are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, appointment made under the earlier Government circulars shall remain valid as if those are issued under the provisions of these rules.

By the order of Governor,

6.11.17

(Amrit Lal Meena)
Principal Secretary

No-5/Astha (Vividh) Ksh-08-58/2014- 10254(S) /Patna-15, Dated- 07/11/17

Copy Forwarded to Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.

6.11.17

(Amrit Lal Meena)
Principal Secretary

No-5/Astha (Vividh) Ksh-08-58/2014- 10254(S) /Patna-15, Dated- 07/11/17

Copy Forwarded to Secretary to the Governor of Bihar/Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Bihar/Chief Secretary, Bihar/All Principal Secretary & Secretary/All Head of the Departments/All Divisional Commissioners/All District Magistrates/Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Bihar, Patna/Secretary, Bihar Public Service Commission, Bihar, Patna/Principal Private Secretary to the Principal Secretary, Road Construction Department/Private Secretary to the Hon'ble Minister, Road Construction Department/All Chief Engineer, All Wings (NH Wing including Mechanical Wing), Road Construction Department/All Superintending Engineer, All Circles (NH Circle including Mechanical Circle), Road Construction Department/All Executive Engineer, All Divisions (NH Division including Mechanical Division), Road Construction Department/All Officers of Road Construction Department and All Section Officers of Road Construction Department, for information and necessary action.

6.11.17

(Amrit Lal Meena)
Principal Secretary

No-5/Astha (Vividh) Ksh-08-58/2014- 10254(S) /Patna-15, Dated- 07/11/17

Copy Forwarded to the Superintendent, Government Press, Gulzarbag, Patna for information and necessary action. He is requested to publish this notification in the next extraordinary issue of Bihar Gazette for the knowledge of general public.

Kindly send 500 Extra copies of special Gazette to the Road Construction Department, Bihar, Patna.

6.11.17

(Amrit Lal Meena)
Principal Secretary

No-5/Astha (Vividh) Ksh-08-58/2014- 10254(S) /Patna-15, Dated- 07/11/17

Copy Forwarded to I.T. Manager, Road Construction Department, Patna to upload it on the Departmental Website.

6.11.17

(Amrit Lal Meena)
Principal Secretary